कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।

पत्रांकः 2873/7–पं0/सामुदायिक शौचालय/2025–26/दिनांक

समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जनपद–फतेहपुर।

विषय : **सामुदायिक शौचालयों को निरन्तर कियाशील रखने, नियमित रूप से खोले जाने तथा केयर टेकरों के नियमित भुगतान के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के पत्र दिनांक 08.07.2025 के द्वारा के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव एवं संचालन के लिए शासनादेश संख्या–1758/दिनांक 15.07.2020 के माध्यम से विस्तृत निर्देश निर्गत करते हुए प्रत्येक सामुदायिक शौचालय के संचालन के लिए केयर–टेकर की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश में केयर टेकर के मानदेय हेतु 6000/– रूपये तथा मरम्मत, साफ–सफाई, निसंक्रामक सामग्री, यूटीलिटी चार्जेज व अन्य रूप में 3000/– रूपये इस प्रकार कुल 9000/– रूपये प्रतिमाह की दर से ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त आयोग मद की धनराशि से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

सामुदायिक शौचालयों को निरन्तर कियाशील रखने, नियमित रूप से खोले जाने तथा केयर टेकरों के नियमित भुगतान के सम्बन्ध में विभिन्न पत्रों एवं समीक्षा बैठकों के माध्यम से निरन्तर जनपद स्तर से निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु इसके उपरान्त भी सामुदायिक शौचालयों के निरन्तर बंद रहने, नियमित रूप से न खुलने केयर टेकरों के नियमित भुगतान के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिस पर उच्च स्तर से बार–बार अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है।

सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु आप सभी के द्वारा निम्नवत अनुश्रवण कराया जायेः–

(1) निर्मित सभी सामुदायिक शौचालयों में नियमानुसार केयर–टेकर नियुक्त करते हुए निरन्तर कियाशील रखने, नियमित रूप से खोले जाने तथा केयर टेकरों के नियमित भुगतान के सम्बन्ध में प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था विकास खण्ड स्तर पर बनाई जाये जिसके लिए व्हाट्सऐप पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की जी0पी0एस0 फोटो ग्राफ प्रतिदिन मंगाई जाये तथा प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा करने के साथ ही साथ सप्ताह में कम से कम 10 सामुदायिक शौचालयों का स्वयं औचक निरीक्षण कर साप्ताहिक आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) विकास खण्ड स्तर पर सामुदायिक शौचालय के नियमित रूप से खोले जाने तथा संचालन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों यथा सहायक विकास अधिकारी (पं0), सहायक विकास अधिकारी सांख्यकीय, ब्लाक मिशन मैनेजर (NRLM), ए0पी0ओ0 मनरेगा इत्यादि को सक्षम स्तर से नामित कराते हुए कम से कम 10 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों को संचालित रखने का दायित्व दिया जाये तथा प्रतिमाह निर्धारित प्रारूप पर आख्या अधोहस्ताक्षर कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।